उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या–क0नि0–2–930/ग्यारह–9(1)/08–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(75)–2011

लखनऊ:दिनांक: 01 सितम्बर, 2011

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त अधिनियम की अनुसूची-एक में दिनांक 01 सितम्बर, 2011 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

उक्त अनुसूची–एक में क्रम संख्या 26 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियॉ स्तम्भवार रख दी जायेगी, अर्थात्:–

	वस्तु का नाम और विवरण
26	जिप्सम, कार्बनिक खाद एवं जैविक उर्वरक; जिंक सल्फेट उर्वरक व माईक्रो न्यूट्रियेन्ट मिश्रण; **समय–समय पर यथासंशोधित उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के अधीन वर्णित समस्त रसायनिक उर्वरकों के फॉस्फैटिक तथा पोटाश संघटक।** किसी रसायनिक उर्वरक में फास्फेटिक एवं पोटाश संघटक के मूल्य का अवधारण कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा समय–समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार किया जायेगा ।

आज्ञा से,

(वृन्दा सरूप)
प्रमुख सचिव।